कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/माध्य–द/22492/प्रवेशोत्सव/2019–20/ दिनांक : 20.06.19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान समस्त जिले।

विषय :– नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने तथा 02जुलाई 2019 को बालसभा का आयोजन किये जाने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान का द्वितीय चरण आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– श्रीमान् आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर का पत्रांक / समसा / जय / वैशि /2019–20/प्रवेशोत्सव द्वितीय चरण/1867 दिनांक 31.05.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रवेशोत्सव कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य में 0 से 18 वर्ष तक के समस्त बालक–बालिकाओं को चिन्हित कर आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़ा जाना है। इसके लिये विस्तृत दिशा–निर्देश आदेश क्रमांकः समसा/जय/वैशि/2019–20/प्रवेशोत्सव/592 दिनांक 16.04. 2019 द्वारा जारी किये जा चुके है। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का प्रथम चरण दिनांक 26.04.2019 को प्रारम्भ हुआ एवं समस्त राजकीय विद्यालयों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर बालसभाओं का भव्य आयोजन किये जाने के साथ दिनांक 09.05.2019 को सम्पन्न हुआ।

ग्रीष्मावकाश समाप्ति पश्चात् प्रवेशोत्सव अभियान का द्वितीय चरण दिनांक 24.06.2019 से 12.07.2019 तक आयोजित किया जायेगा। द्वितीय चरण में नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालयों से जोड़ा जायेगा तथा 02 जुलाई 2019 को समस्त राजकीय विद्यालय सार्वजनिक स्थान बालसभाओं का भव्य आयोजन करेंगे।

दिशा–निर्देशों के अनुरूप अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे प्रवेशोत्सव अभियान के द्वितीय चरण में नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 02 जुलाई, 2019 को समस्त राजकीय विद्यालय सार्वजनिक स्थल पर बालसभा का भव्य आयोजन करें। द्वितीय चरण में यह सुनिश्चित किया जावें कि आंगनबाड़ी एवं विद्यालय जाने योग्य आयु का कोई भी बालक–बालिका अनामांकित न रहे। साथ ही हाउस होल्ड सर्वे किया जाकर विद्यालय स्तर पर 0 से 18 वर्ष तक के सभी बालक–बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारित किया जावे तथा समस्त सीबीईओ शालादर्पण पर प्रतिदिन की प्रगति की सूचना प्रविष्ट करावें।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.), राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक ।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर